(ख) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग, किसी ऐसे प्रदाय के संबंध में जिसकी बाबत प्रभारित कर सरकार को संदत्त नहीं किया गया है; कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है; या

(ग) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अस्तित्वहीन पाया जाता है या ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है; या

(घ) इनपुट कर के किसी प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में कर बीजक या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित कोई अन्य दस्तावजे नहीं है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन के लिए या किसी अनुपयोजित रकम के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में से ऐसे प्रत्यय के समतुल्य किसी रकम का विकलन अनुज्ञात नहीं कर सकेगा।

(2) आयुक्त या उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते के विकलन को अननुज्ञात करने की यथा उपरोक्त शर्तें अस्तित्व में नहीं है, ऐसे विकलन को अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) ऐसे निर्बन्धन, उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित किए जाएं, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगे।

4. उक्त नियमों में, 11 जनवरी, 2020 से प्रभावी, नियम 138ङ में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

"(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ने, यथास्थिति, दो मास के लिए या दो तिमाही के लिए जावक प्रदायों का विवरण नहीं दिया है।"।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.–– मूल नियम अधिसूचना सं0 ई.एक्स.एन.–एफ(10)–13 / 2017 तारीख 27 जून, 2019 के द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई–गज़ट) में तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं0 68 / 2019–राज्य कर, तारीख 31–12–2019 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई–गज़ट) में सं0 ई.एक्स.एन.–एफ(10)–25 / 2019 के तहत 2 जनवरी, 2020 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित किए गये थे।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-25/2019 dated 15-01-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

NOTIFICATION No. 75/2019-State Tax

Shimla-2, *the* 15*th January*, 2020

No. EXN-F(10)-25/2019.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal

Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 1st January, 2020, in rule 36, in sub-rule (4), for the figures and words "20 per cent.", the figures and words "10 percent." shall be substituted.

3. In the said rules, after rule 86, the following rule shall be inserted, namely:—

"**86A. Conditions of use of amount available in electronic credit ledger.—**

(1) The Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of an Assistant Commissioner, having reasons to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible inas much as.—

(*a*) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36-

i. issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or

ii. without receipt of goods or services or both; or

(*b*) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the Government; or

(*c*) the registered person availing the credit of input tax has been found non- existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or

(*d*) the registered person availing any credit of input tax is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36,

may, for reasons to be recorded in writing, not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilised amount.

(2) The Commissioner, or the officer authorised by him under sub-rule (1) may, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger as above, no longer exist, allow such debit.

(3) Such restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of imposing such restriction.".

4. In the said rules,with effect from the 11th January, 2020, in rule 138E, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the statement of outward supplies for any two months or quarters, as the case may be.".

By order,

SANJAY KUNDU,
Principal Secretary (E&T),

Note:— The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* notification No. EXN-F(10)-13-2017, dated the 27th June, 2017, published *vide* number EXN-F(10)-13-2017, dated the 29th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 68/2019-State Tax, dated 31-12-2019, published in Rajpatra (e-Gazette) *vide* number EXN-F(10)-25/2019 on 02-01-2020.

आबकारी एवं कराधान विभाग

आदेश सं. 10 / 2019—राज्य कर

शिमला—2, 15 जनवरी, 2020

सं0 ई.एक्स.एन.—एफ(10)—25 / 2019.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इक्कतीस दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबन्धों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:——

1. **संक्षित नाम.**——इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना, दसवां) आदेश, 2019 है।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "31 दिसम्बर, 2019" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 जनवरी, 2020" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।